

No. HQ/PIO/RTI/198/14

Dt: 30.09.2014

**Sh. Sanjay Kumar Singh,**  
C/o Tribhuvan Singh,  
Purani Hero Honda Agency,  
Bharuhana Chauraha,  
Mirzapur-231001.


Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: Your application dt. 18.08.2014, received in this office on 02.09.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

1. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के अंतर्गत सीपीएम/मुगलसराय, सीपीएम/इलाहाबाद, सीपीएम/मेरठ, सीपीएम/अम्बाला एवं सीपीएम/नोएडा द्वारा कार्य किया जा रहा है। केवल सीपीएम मेरठ और सीपीएम अम्बाला द्वारा हि उत्तर रेलवे कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा जिसका विवरण अलग-अलग फाइलों में उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो आप सीपीएम/मेरठ एवं सीपीएम/अम्बाला के कार्यालय में नियमानुसार रिकार्ड का निरीक्षण कर सकते हैं और विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
2. मीरजापुर जिले के अंतर्गत अधिग्रहण की जा रही गाँव की सूची संलग्न है।
3. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोई औद्योगिक हब प्रस्तावित नहीं है।

संलग्नक:- मीरजापुर के प्रभावित ग्रामों की सूची।

  
(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

Copy to:-

1. APIO, Centralized RTI Cell/HQ/NR, Baroda House, New Delhi - In reference to letter no. RTI Cell/Law/2396/2012 dt. 25.08.2014.

*Johata*  
*11/09/14* 2. GGM/BD

3. CPM/Allahabad (East), Ambala, Meerut, Tundla, Noida, Mugalsarai

  
11/10